राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–11)विभाग

क्रमांक प. 7(8) गृह–11/09 **जयपुर, दिनांक:29.04.09**

परिपत्र

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियन्त्रण) नियम 1958 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विभिन्न कोर्ट के निर्णयों में राज्य सरकार द्वारा अपील / एस.एल.पी. दायर नहीं करने के निर्णय के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि कोर्ट की अवमानना से बचा जा सके । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जिन प्रकरणों में अपील/एस. एल.पी. दायर करने का निर्णय लिया जाता है उन प्रकरणों में अपील दायर कर सर्वप्रथम स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे । यदि राज्य सरकार के पूर्ण प्रयास के बावजूद भी स्थगन प्राप्त न हो सके तो अपील/एस.एल.पी. के निर्णय के अध्यधीन न्यायालय के आदेश की पालना करना सुनिश्चित किया जावे ।

(एस.एन.थानवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित् है:–

1–निजी सचिव गृहमंत्री राज,जयपूर
2–निजी सचिव,प्रमूख शासन सचिव,गृह विभाग राज0जयपूर
3–निजी सचिव,प्रमूख शासन सचिव,विधि विभाग,राज0
4–महानिदेशक पूलिस,राज0,जयपूर
5–महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज0जयपूर
6–उप शासन सचिव गृह (ग्रुप–1)विभाग
7–समस्त पूलिस अधीक्षक,राजस्थान
8–रक्षित पत्रावली

(उर्मिला राजोरिया)
उप शासन सचिव (अपील)